


मु0नं0 149 / 2017

उनवानी प्रकाश शर्मा बनाम सुभाषचन्द्र वर्गै0

06.02.2020 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपरिथत। वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि दावा प्राथमिक डिकी किया जा चुका है। इसलिये अब इस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। चुकि मूल दावा प्राथमिक डिकी किया जा चुका है इसलिये इस प्रार्थना पत्र में आगे कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकम्मील जाब्ता मूल दावें के संलग्न रहें।


उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

